सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-1412/BR/2/2023-APCR Date : 08/11/2023

To,

1. **Dr. Naval Kishore Chaudhary**
Collector& District Magistrate,
District – Gopalganj,
Collectorate Building,
Maunia Chowk,
Gopalganj, Bihar 841428
Email Id: dm-gopalganj.bih@nic.in

2. **Shri Swarn Prabhat**
Superintendent of Police,
District – Gopalganj,
O/o Superintendent of Police,
Collectorate Complex,
Gopalganj, Bihar 841428
Email Id: sp-gopalganj-bih@nic.in

Sub: Representation of Shri Jai Prakash Prasad, District Gopalganj, Bihar regarding the alleged weakening of the case of Scheduled Tribe by the administration even after the court ordered FIR.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the Sitting held on 30.10.2023 under the Chairmanship of Shri Ananta Nayak, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action. It is requested that compliance report may be submitted to this Commission within 15 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Encl: as above

Yours faithfully,

NIC

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer

Copy to:-

Shri Jai Prakash Prasad,
Village - Gularbagh alias Kusum Bathua
Post – Songadhwa,
Block + Police Station - Phulwaria
District – Gopalganj, (Bihar).
Mobile Number:9939058794

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/ATY-1412/BR/2/2023-APCR

न्यायालय द्वारा FIR का आदेश देने के बाद अनुसूचित जनजाति का केस प्रशासन द्वारा कथित रूप से कमजोर करने के संबंध मे श्री जय प्रकाश प्रसाद, जिला-गोपालगंज, बिहार की शिकायत पर आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 30.10.2023 को आयोग में हुई मीटिंग का कार्यवृत ।

****

मीटिंग की तिथि	:	30.10.2023
मीटिंग में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट

****

आयोग में श्री जय प्रकाश प्रसाद की शिकायत दिनांक 09.08.2023 को प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने बताया कि दिनाक 06/04/2023 को श्री पंचालाल गुप्ता उनके कम्प्युटर की दूकान पर भूमि की पंचायती करने के लिए आये पर श्री जय प्रकाश प्रसाद ने पंचायत करने को मना किया। फिर श्री पंचालाल गुप्ता उनके साथ गाली देकर मार -पीट करने लगे। उनके साथ उनकी पत्नी उनका साला और चार अन्य व्यक्ति थे। इस घटना की शिकायत उनके द्वारा दिनांक 08.04.2023 को अनुसूचित जाति/जन जाति थाना, गोपालगंज में की गयी किन्तु थाना प्रभारी द्वारा उनकी शिकायत पर कोई कारवाई नहीं की गयी। अपितु थाना प्रभारी द्वारा बिना कोई कारण बताये FIR लिखने से मना कर दिया गया। उसके बाद उनके द्वारा जिला न्यायालय में केस किया गया एवं न्यायालय के आदेश पर दिनांक 31.07.2023 को SC/ST थाने में FIR दर्ज की गयी किन्तु आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। विपक्षी केस वापस लेने की धमकी किसी के माध्यम से दे रहा है जिस कारण से वो लोग डरे सहमे हैं|

2. प्रकरण में आयोग द्वारा जिला कलेक्टर एव डीएम, गोपालगंज, बिहार तथा पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज, बिहार को दिनांक 28/08/23 को नोटिस भेजकर 15 दिवस में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गयी | आयोग के नोटिस के जवाब में पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज ने रिपोर्ट दिनांक 20/09/23 भेज कर अवगत कराया कि दोनों पक्षों के बीच भूमि के कब्जे को लेकर विवाद कायम है जिसके चलते 06/08/2023 वादी और प्रतिवादी के बीच भूमि की मापी को लेकर ही वादी की दुकान पर कहा-सुनी हुई । गाँव वालो और साक्षियों से पूछने पर सबने गाली – गलोज एव मार-पीट की घटना से इंकार किया है और जाँच के क्रम में पता चला कि भूमि की मापी तीन बार की गयी जिसमें पहली बार वादी द्वारा कराई गयी जिसमें अंचलाधिकारी फुलवरिया के निर्देश अनुसार मापी हुई और जिसमें वादी की भूमि में 0-2-5 धुर भूमि कम पाई गयी | दूसरी बार भूमि मापी विपक्षी सुनीता देवी पति पंचालाल गुप्ता के आवेदन पर अंचल अमीन भोरे के निर्देशानुसार हुई जिसमें पाया गया कि दोनों वादी एव प्रतिवादी अपने – अपने वर्तमान दखल कब्ज़ा के अनुसार भू – अधिग्रहण युक्त हैं | तीसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नोटिस के सन्दर्भ में भूमि मापी दिनांक 11/08/2023 को गयी जिसमें अमीन श्री बंकालाल, अंचल अमीन हथुआ एवं श्री प्रदीप राम, और अमीन भोरे द्वारा बताया गया कि वादी श्री जयप्रकाश प्रसाद की भूमि प्रतिवादी पंचालाल गुप्ता की बाउंड्री में नहीं पड़ती है| जाँच के क्रम में वादी श्री जयप्रकाश प्रसाद ने बताया कि 11/08/2023 को भूमि मापी के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी | वह भूमि की मापी के प्रति असंतुष्ट हैं | अंत में रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक ने यह सुझाव दिया है कि सम्बंधित प्राधिकार के द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति के समक्ष भूमि की मापी करने के उपरांत ही सही तथ्य सामने आ सकता है |

3. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 30.10.2023 को कलेक्टर एव डीएम तथा पुलिस अधीक्षक जिला गोपालगंज (बिहार) के साथ आयोग में सुनवाई/मीटिंग तय की गयी |

4. प्रकरण में कलेक्टर एव डीएम , जिला- गोपालगंज, मीटिंग में उपस्थित हुए | शिकायतकर्ता जयप्रकाश प्रसाद भी उपस्थित हुए | प्रकरण में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान शिकायतकर्ता ने आयोग को अवगत कराया कि गाँव में उनकी खातेदारी भूमि है । दूसरी ओर बगल में श्री पंचालाल गुप्ता की भूमि है। दोनों की भूमि की सीमा का मुद्दा है और उसी पर विवाद है दिनांक 06/04/2023 को श्री पंचलाल गुप्ता भूमि पर पंचायती करने उसकी दुकान पर आये और उनके मना करने पर श्री पंचालाल गुप्ता ने उनके साथ जाति सूचक

अनंत नायक
अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

गाली - गलोज और मार-पीट की जिस पर उनके द्वारा दिनाक 08/04/2023 को थाना गोपालगंज में शिकायत की गयी किन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। बाद में उनके द्वारा जिला न्यायलय में शिकायत की गयी । उसके पश्चात् न्यायलय के आदेश पर FIR दर्ज की गयी किन्तु फिर भी पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नही किया गया | उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उनकी भूमि के सीमा की तीन बार मापी के गयी है जिसमें पहली मापी में उनकी भूमि को कम बताया है ,बाकि दो बार की मापी में उनको सूचित नही किया गया है|

5. प्रकरण में जिला कलेक्टर गोपालगंज ने आयोग को बताया कि दोनों पक्षों के बीच सीमा विवाद है जिसपर कथित घटना दिनांक 06/04/2023 पर FIR कांड स. 43/23 थाना गोपालगंज में दिनाक 31/08/2023 को दर्ज की जा चुकी है जिस पर पुलिस द्वारा कारवाई की जा रही है भूमि की सीमा तय किया जाना दीवानी न्यायलय के अंतर्गत है उक्त सम्बन्ध में दिवानीवाद 313/23 सब- जज 16, गोपालगंज के न्यायलय में विचाराधीन है | उन्होंने कहा कि कथित भूमि की माप डी.सी.एल.आर की उपस्थिति में करवा देंगे|

6. प्रकरण में सुनवाई के अंतिम दौर में शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि उनकी भूमि की मापी सब – जज, गोपालगंज के आदेशानुसार हो गयी है किन्तु मापन की रिपोर्ट प्राप्त होना बाकी है |

7. प्रकरण पर सुनने के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाएँ की जाती हैं -:

1. कथित भूमि की सीमा मापन, सब – जज, गोपालगंज के आदेश अनुसार सुनिश्चित की जाये |
2. सीमा मापन दौरान शिकायतकर्ता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाये |
3. शिकायतकर्ता पर किसी प्रकार की घटना होने पर आरोपियों को पाबंद किया जाये |

प्रकरण में की गयी कार्रईं की रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों के भीतर भेजने के व्यवस्था की जाए |

अनन्त नायक

(अनंत नायक)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1412/BR/2/2023-APCR

Sitting to be held on 30.10.2023 at 12:00 Noon in the case of Shri Jai Prakash Prasad, District Gopalganj, Bihar regarding the alleged weakening of the case of Scheduled Tribe by the administration even after the court ordered FIR.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Shri Ananta Naya Hon'ble Member	In Chair	In Chair
2.	Dr. Jayant Sarde	Director	[signature]
3.	M.R. Meena	RO	[signature]
4.	Radhakanta Tripathy	Spl. Rapporteur	[signature]
5.	Rahul	Investigator	[signature]
5.			
6.			
7.			
II	**Officers from District – Gopalganj (Bihar)**		
1.	Dr. Nawal Kishor Choudhary	DM Gopalganj	[signature]
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	जय प्रकाश प्रसाद		जयप्रकाश
2.	[illegible]		[signature]